28/9/2024

पत्रा. पेश हुई। प्रार्थी का दावा नोट-पेपर में अभिलेख किया जा चुका है वाद का प्रार्थना-पत्र 12 CPA का कोई औचित्य नहीं। अतः प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र [illegible] अभिलेख किया जाकर [illegible] पत्रावली [illegible] नम्बर से दूम की जाकर [illegible] दफ्तर हो

Signature Not Verified

Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.06.23 14:59:05 IST
Reason: SelfAttested

अध्यक्ष
नेशनल लोक अदालत
नटवाड़ा

सदस्य
नेशनल लोक अदालत
नटवाड़ा